R.M.M. Law College, Saharsa.
Lecturer - Nareshji Anand
LL.B. Part - II nd
Paper - Ist Family Law
Muslim Law

वसीयतदार कौन हो सकता है?

फ़ज़ल मुस्मार के अनुसार, -
"वसीयत मृत्यु पश्चात् प्रभाव में आने वाला सम्पत्ति का सुपुर्दगी है।"

हिदाया के अनुसार, -
"वसीयत सम्पत्ति का मृत्युपरान्त विन्यास है — जैसे एक व्यक्ति दूसरे से कहे, मेरे मरने के पश्चात यह वस्तु अमुक व्यक्ति को देना।"

(i) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति धारण कर सकता है, पुरुष अथवा स्त्री मुसलमान अथवा गैर मुस्लिम वसीयत का वैध हकदार बन सकता है। मुल्ला ने लिखा है कि विल का निस्पादक मुसलमान ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। एक मुसलमान वसीयतकर्ता किसी क्रिश्चियन, हिन्दू अथवा गैर मुस्लिम को उसका निष्पादक नियुक्त कर सकता है। मुस्लिम विधि एक मुसलमान द्वारा एक गैर मुसलमान को वसीयतदार बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती।
(ii) अजन्मा व्यक्ति वसीयतदार नहीं बन सकता।

Scanned with CamScanner

परंतु यदि वसीयत का हितग्राही गर्भावस्था में है तथा विल बनाने की तारीख से छः माह के अन्दर जन्म लेता है तो वह वसीयतदार बन सकता है। शिया विधि वसीयत लिखने की तारीख से 10 माह के अन्दर पैदा हुए बच्चे को भी वसीयत के हक की मान्यता देती है।

iii) उत्तराधिकारी वसीयतदार नहीं बन सकते। जो उत्तराधिकारी में सम्पत्ति पाने के अधिकारी हैं उनके हित में विल नहीं बनायी जा सकती। परंतु यदि अन्य उत्तराधिकारी सहमति देते हैं तो इस नियम में छूट मिल सकती है। यह अनुमति हनफी विधिनुसार मृत्यु के बाद में तथा शिया विधिनुसार पहले या बाद में दी जा सकती है। सहमति देने से एक उत्तराधिकारी केवल उसी के अंश को प्रभावित करता है, अन्य उत्तराधिकारियों के अंश विचलित नहीं होते।

मुल्ला के अनुसार अमुक व्यक्ति उत्तराधिकारी है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्णायक काल-तत्व वसीयत के निष्पादन की तिथि नहीं है अपितु वसीयत कर्ता की मृत्यु का क्षण है। वह अमुक व्यक्ति जिस दिन वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है उस दिन उसका उत्तराधिकारी बना होना चाहिए।

उत्तराधिकारी को वसीयत तब तक वैध नहीं जब तक कि अन्य उत्तराधिकारी सहमति नहीं देते। एक उदाहरण मुल्लान व. एहसान इलाही वाद में याची ने अपने पिता द्वारा की गई वसीयत के आधार पर किसी संपत्ति पर अपना

Scanned with CamScanner

दावा किया था।

वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी का जीवित होना आवश्यक है।

(iv) धर्म परिवर्तन भी वसीयतदार बन सकता है। शाफी शाखा को छोड़कर अन्य सभी शाखाएँ और मुस्लिम के नाम विलु को वैध मानती है। शाफी विधि के नियम को जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम अध्यारोहित करता है। शाफी शाखा में भी एक मत धर्मत्यागी के लिए वसीयत को वैध मानता है।

(v) हत्यारा — यहाँ इस शब्द से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति की हत्या की है जिससे वह वसीयत पाना चाहता है। हनफी विधि उसे वसीयत से वंचित रखती है।

(vi) संस्थाएँ - धार्मिक अथवा पूर्त संस्थाएँ वैध वसीयतदार हो सकती है।

(vii) संयुक्त वसीयतदार — जब एक ही विलु में दो या अधिक व्यक्तियों के हित में वसीयत की जाती है तो उसे संयुक्त वसीयत कहते हैं। यदि इन संयुक्त वसीयतदारों में से किसी एक या अधिक के सम्बन्ध में वसीयत विफल हो जाती है तो वसीयत के हकदार कौन होंगे? ऐसे मामले में बहुत अधिक उलझन नहीं है।

(viii) एक वर्ग के लिए वसीयत —

एक वर्ग को भी वसीयतदार बनाया जा सकता है, जैसे- एक गाँव के सभी गरीब लोग।

Scanned with CamScanner

ANKIT
Page No.
Date

(5)

है संयुक्त रूप से एक नामित कर कहलाते अबू हनीफा तथा अबू यूसुफ के मत में एक गरीब व्यक्ति पर रकम खर्च की जा सकती है और मुहम्मद के अनुसार कम से कम दो व्यक्तियों पर। वर्ग विशिष्ट भी हो सकता

Scanned with CamScanner